प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –265 / 2023

अनवान : –

1. हरलाल पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. दुनीराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. सुभाषचंद्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 1/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 199 / 239 की कुल तादादी 13.0169 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के 1 / 4 हिस्सा भूमि दर्ज है तथा खाता संख्या 340 / 123 के खसरा नं. 325 / 1 की 2.9475 है0 भूमि में वादी के 548 / 9825 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के 13916 / 29475 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 2783 / 11790 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 339 / 239 के खसरा नं. 525 / 1 की 2.1505 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 339 / 239 के खसरा नं. 525 / 1 की 2.1505 है0 में से 1 / 2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1, 1 / 4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 व 1 / 4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा भावलदेसर के खाता संख्या 340 / 123 के खसरा नं. 325 / 1 की 2.9475 है0 भूमि में से वादी के नाम दर्ज 548 / 9825 हिस्सा यानी 0.1644 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है व खाता संख्या 199 / 239 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 13.0169 है0 भूमि में से खसरा नं. 367 / 2 की 2.0999 है0 भूमि पर वादी काबिज है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी ... है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:10 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर पारिवारिक समझौता इस इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 339/239 के खसरा नं. 525/1 की 2.1505 है0 में से 1/2 हिस्सा मिकर संख्या 1 के 1/4 हिस्सा भूमि पर मिकर संख्या 2 के 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा भावलदेसर के खाता संख्या 340/123 के खसरा नं. 325/1 की 2.9475 है0 भूमि में से वादी का नाम कलमजन किया जाकर 0.1644 है0 भूमि मिकर स0 1 व 2 के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व खाता संख्या 199/239 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 13.0169 है0 भूमि में से खसरा नं. 367/2 की 2.0999 है0 भूमि मिकर स0 3 के नाम दर्ज की जावे तथा खाता स0 339/239 व खाता स0 340/123 में मिकर स0 3 का नाम कलमजन किया जावें तथा प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल इस आशय का पेश किया गया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगणक को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा आपसी पारिवारिक समझौता एवं जवाब इकबाल मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा पारिवारिक समझौता व इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 199/239 की कुल तादादी 13.0169 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज है तथा खाता संख्या 340/123 के खसरा नं. 325/1 की 2.9475 है0 भूमि में वादी के 548/9825 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के 13916/29475 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 2783/11790 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 339/239 के खसरा नं. 525/1 की 2.1505 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादीगण स0 1 के कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा पारिवारिक समझौता व इकबाल पेश किया गया है कि मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नही है। अतः वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक पारिवारिक समझौता डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 339/239 के खसरा नं. 525/1 की 2.1505 है0 में वादी का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को, 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को एवं 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा भावलदेसर के खाता संख्या 340/123 के खसरा नं. 325/1 की 2.9475 है0 भूमि में से वादी का नाम कलमजन किया जाकर 0.1644 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खाता संख्या 199/239 कुल तादादी 13.0169 है0 भूमि में से खसरा नं. 367/2 की 2.0999 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/12/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जबरासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –265 / 2023
अनवान : –

1. हरलाल पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दुनीराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. सुभाषचंद्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 265 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री मुताबिक पारिवारिक समझौता किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 339 / 239 के खसरा नं. 525 / 1 की 2.1505 है0 में वादी का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को, 1 / 4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को एवं 1 / 4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा भावलदेसर के खाता संख्या 340 / 123 के खसरा नं. 325 / 1 की 2.9475 है0 भूमि में से वादी का नाम कलमजन किया जाकर 0.1644 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खाता संख्या 199 / 239 कुल तादादी 13.0169 है0 भूमि में से खसरा नं. 367 / 2 की 2.0999 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जबरासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:10 IST
Reason: SelfAttested